न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/110/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/193

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
श्री बनवारीलाल पुत्र भम्बूराम, नि0 भगतजी कॉलोनी, शौकीन प्रोपर्टीज के पास, टपूकडा, अलवर–301001		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, तिजारा (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 02.08.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 23.08.2022

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. पत्रावली में सम्मिलित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं अपील के तथ्यों का समग्रतापूर्वक मनन किया गया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांकः 08.04.2022 के माध्यम से राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी, तिजारा के न्यायालय में विचाराधीन वाद सं. 12/2021 भजनलाल वगै0 बनाम बनवारीलाल के संबंध में कुल 5 विन्दुओं पर सूचना चाही गई थी।
4. सूचना नहीं मिलने के आक्षेप पर अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांकः 08.06.2022 के माध्यम से संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो उनके पत्रांकः 389 दिनांकः 13.06.22 के माध्यम से माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर को हस्तान्तरित की गई है, माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर के पत्रांकः कोर्ट/2022/139 दिनांकः 01.08.2022 के माध्यम से अपील में वांछित सूचना की विषयवस्तु उपखण्ड अधिकारी, तिजारा के न्यायालय से संबंधित होने के कारण इस न्यायालय को सुनवाई हेतु प्राप्त हुई है।
5. उक्त निर्देशों के अनुसरण में प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से पत्र सं. राजस्व/आर.टी.आई./2022/756–57 दिनांकः 25.07.22 के माध्यम से अपील का विन्दुवार जवाब अपीलार्थी को प्रस्तुत कर प्रति इस न्यायालय को भी पृष्ठांकित की गई है।
7. प्राप्त जवाब मय संलग्नक दस्तावेजात् का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में न्यायालय में विचाराधीन वाद पत्रावली अनुसार विन्दुवार विनिश्चय कर अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है।
8. यद्यपि प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्नगत सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में विनिर्दिष्ट समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत करने उपरान्त विनिश्चय कर अपीलार्थी को सूचित किया है जो उचित नहीं है, साथ ही अधिनियम के विधिक प्रावधानों के प्रति उदासीनता का परिचायक है।
9. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। **अपील मय आवेदन में न्यायिक प्रक्रिया पर रोष व्यक्त कर सूचना चाही गई है जो समस्या, व्यथा स्वरूप होने के कारण देय नहीं है।** अपील निर्बल है। अपील, अपीलार्थी **खारिज कर निस्तारित** की जाती है, साथ ही लोकहित में प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में सूचना आवेदनों में वांछित सूचना अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में अतित्वरित प्रेंषित किया जाना सुनिश्चित करें।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेपित हो।
11. आज दिनांकः 23.08.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(वन्दना खोरवाल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)